कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0/एस0एस0–1/श0स्था0नि0/14491/ दिनांक– 13.03.15

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, महाराजगंज

महाशय,

नगर पंचायत, महाराजगंज के वर्ष 2012–13 से 2013–14 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 737/14–15 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,
-ह0-
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0/सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0/एस.एस.–1/श0स्था0नि0/14491/2260 दिनांक– 13.03.15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, सिवान

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0/सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं.–737/14–15

भाग–I

प्रस्तावना

(i)	कार्यालय का नाम	नगर पंचायत, महाराजगंज
(ii)	निरीक्षण का वर्ष	वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14
(iii)	लेखापरीक्षा की अवधि	11.09.2014 से 17.09.2014
(iv)	लेखापरीक्षा दल के सदस्य	(i) विश्वपति सिंह, स0ले0प0अ0 (ii) चितरंजन कुमार, स0ले0प0अ0 (iii) चंदन पासवान, ले0प0 (iv) राकेश कुमार सिंह, ले0प0
(v)	निरीक्षण पदाधिकारी का नाम	श्री शम्भू प्रसाद गुप्ता, व0ले0प0अ0
(vi)	क्या कार्यालय प्रधान के साथ आपत्तियों पर विचार– विमर्श किया गया?	हाँ, दिनांक 17.09.2014 को लेखापरीक्षा के दौरान उठाई गई आपत्तियों पर चर्चा की गई।

1. प्रशासन

1. कार्यपालक पदाधिकारी

क0सं0	नाम	अवधि
1.	श्री संतोष कुमार	01.04.12 से 02.12.13
2.	श्री रामबहादुर सिंह	02.12.13 से 19.02.14
3.	श्री संतोष कुमार	19.02.14 से 31.03.14

2. अध्यक्ष का नाम

क0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती शारदा देवी	09.06.12 से 31.03.14

3. उपाध्यक्ष का नाम

क0सं0	नाम	अवधि
1	श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह	09.06.12 से 31.03.14

2. लेखापरीक्षा का परिक्षेत्र–परिशिष्ट I और II पर संलग्न

3. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा का अनुपालन प्रतिवेदन

बार– बार अनुरोध करने के बावजूद भी पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा का अनुपालन तैयार कर अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण लेखापरीक्षा का उद्देश्य विफल हो जाता है।

3(क) सामान्य अभियुक्ति

लेखा अभिलेखों के संधारण में अति सुधार की आवश्यकता है। प्रमुख अभिलेख जैसे– मांग एवं वसूली पंजी, अनुदान पंजी, संपत्ति पंजी, बंदोबस्ती पंजी इत्यादि संधारित नहीं थी। वसूली गयी राशियों के नहीं जमा के अनेक मामले दृष्टिगोचर हुए। निकाय के विभिन्न प्रकार के प्राप्तियों की देख– रेख तथा

निकाय निधि में सही समय पर जमा सुनिश्चित करने के लिए पदाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनो में लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार को समर्पित किया जाना चाहिए। योजनाओं के कार्यान्वयन में सरकार के दिशानिर्देश एवं मार्गदर्शिका के पालन की आवश्यकता है।

4. लेखापरीक्षा का परिणाम

1 अंकेक्षण के दौरान वसूली गई राशि– ₹8262.00

2 अंकेक्षण के दौरान वसूली हेतु सुझाई गई राशि– ₹722979.00

3 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी गई राशि– ₹1155344.00

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट–IX पर संलग्न)

5(i) वित्तीय अधिदृश्य (आय– व्यय)

नगर पंचायत केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त विभिन्न अनुदानों तथा स्वंय के स्त्रोतों से वित्त संपोषित है। वर्ष 2012-13 से 2013-14 के अवधि में नगर पंचायत द्वारा संधारित/प्रस्तुत रोकड़ बहियों के अनुसार आय एवं व्यय का विवरण निम्न है–

		2012-13	**2013-14**
1.	प्रारम्भिक शेष	24359672	26297193
2.	वर्ष में प्राप्ति		
	(i) अनुदान	14028580	23557033
	(ii) ब्याज	2497	73515
	(iii) अन्य	612754	830732
3.	कुल प्राप्ति (i+ii+iii)	14643831	24461280
4.	कुल उपलब्ध राशि (1+3)	39003503	50758473
5.	व्यय		
	(i) योजना पर व्यय	5911364	3664711
	(ii) अन्य व्यय	6794946	3259809
6.	कुल व्यय (i+ii)	12706310	6924520
7.	अंतशेष (4-6)	26297193	43833953

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– VIII पर संलग्न)

5(ii) रोकड़ बही की त्रुटियाँ

कार्यालय नगर पंचायत, महाराजगंज के रोकड़ बही के अवलोकन में निम्न त्रुटियाँ पाई गई।

(1) रोकड़ बही के अन्तशेष एवं पासबुक के अंतशेष के अन्तर की राशि का बैंक समाधान विवरणी प्रस्तुत नही किया गया।

(2) अलग- अलग रोकड़ बही के लिए अलग- अलग बैंक पासबुक का संधारण नहीं किया जा रहा है जिस कारण किसी खास रोकड़ बही की राशि निकाल पाना मुश्किल था।

\125

(3) योजनाओं की राशि को लेखापाल रोकड़बही (PL a/c) में रखा गया जिस कारण करोड़ों रुपये की राशि पर नगर पंचायत सूद नहीं ले पा रहा था।

(4) रोकड़ बहियों का मासिक त्रैमासिक या वार्षिक ब्रेकअप नहीं बनाया जा रहा था। यानि आय– व्यय का वर्गीकरण नहीं किया जा रहा था।

(5) रोकड़बही में कॉंट- छॉंट की गयी थी जबकि कॉंट- छॉंट की मनाही है।

उपर्युक्त तथ्यों से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

कार्यालय द्वारा आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि दल के सुझावों के आधार पर रोकड़ बही में परिवर्त्तन/सुधार किया जाएगा। अतः उपरोक्त आपत्तियों के अनुसार रोकड़ बही में आवश्यक सुधार कर एवं बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण दल को दिखाया जाय।

(127)

भाग– II (क) – शून्य

भाग– II (ख)

कंडिका संख्या– 1(i) कम जमा/नहीं जमा 51600.00

नगर पंचायत, महाराजगंज के विविध रसीदों के जाँच के कम में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में विविध रसीदों के द्वारा राशि जमा ली गई, लेकिन उसकी प्रविष्टि रोकड़ पाल रोकड़ बही में नहीं पायी गई। विवरणी निम्न प्रकार है–

Sr.no.	M.R. no./Date	Amount
1.	731/16.4.12	12000
2.	732/16/4/12	7500
3.	733/16/4/12	13500
4.	734/16/4/12	4500
5.	735/16/4/12	10500
6.	414/26/9/13	600
7.	417/23/10/13	3000
	कुल	51600

कार्यालय द्वारा आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि राशि वस्तुतः वसूल की जा चुकी हैं, प्रविष्टि नहीं की गई थी जिसकी प्रविष्टि कर अगले अंकेक्षण दल को दिखाया जाएगा। जवाब संतोषप्रद नहीं था क्योंकि रोकड़पाल द्वारा राशि विविध रसीद से लेने के बाद उसे तुरंत रोकड़ बही में प्रविष्टि करना चाहिए। राशि की रोकड़ बही में प्रविष्टि कर अगले अंकेक्षण दल को दिखाये जाने तक राशि ₹51600.00 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती हैं।

कंडिका संख्या– 1(ii) अंकेक्षण के दौरान जमा राशि ₹8262.00

कार्यालय नगर पंचायत, महराजगंज के लेखा वर्ष 2012–13 से 2013–14 के दौरान होल्डिंग रसीद की राशि ₹8262.00 जमा नहीं की गयी। (विवरणी परिशिष्ट–III पर संलग्न)

विवरणी से स्पष्ट है कि कर संग्राहक धर्मनाथ प्रसाद द्वारा ₹6512.00/नहीं जमा किया गया एवं कर संग्राहक रितेश कुमार के द्वारा 1750/नहीं जमा किया गया। अंकेक्षण आपत्ति के उपरान्त लेखापरीक्षा अवधि में ₹6512.00 एवं ₹1750.00 दिनांक 17.09.14 को पी.एन.बी. खाता सं.– 0349000110214210 में जमा कर दिया गया। इस प्रकार कुल राशि ₹8262.00 अंकेक्षण के दौरान जमा किया गया।

कंडिका संख्या– 02 कार्य संपादन में विलंब के कारण वसूली योग्य विलंब शुल्क की वसूली नहीं ₹68179.00

नगर पंचायत, महाराजगंज में संचालित दो योजनाओं में कार्य की समाप्ति की निर्धारित अवधि जिसमें कार्य पूर्ण होना था उसके बाद हो पायी। विस्तृत विवरणी निम्नलिखित है–

क्र. सं.	मद	योजना सं.	योजना का नाम	संवेदक का नाम	प्राक्कलित राशि	तकनीकि स्वीकृति	प्रशासनिक स्वीकृति	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	कार्य समाप्त करने की तिथि	मापी पुस्तिका के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	भुगतान की राशि / चेक सं., तिथि	रॉयल्टी+एस.डी.+आई. टी.+ सेस+वैट	भुगतान की राशि	विलंब शुल्क की राशि
1	13वॉं वि.	13 / 13–14	वार्ड सं. 03 में 40 एम.एम. x 46M हैंड पंप गाड़ने हेतु	श्री योगन्द्र यादव	198480 (प्रति चापाकल 19848)	—	—	12.09. 13(एकरारनामा के अनुसार)	11.03.14	16.06.14	149057 / 725325 / 16.11.13	0+8374+3660+0+ 8249	198170	19848
2	बी.आर. जी.एफ.	20 / 13–14	वार्ड नं. 07 में दिनेश सिंह के घर से वउली तक पक्का नाला निर्माण कार्य	श्री योगन्द्र यादव	483310	27.04.13	10.06.13	02.11.13	02.01.14	01.08.14	422230 / 882766 / 15.02.14	3083+ 24166+ 9666+ 4833+ 19332	483310	48331
													कुल	68179

अंकेक्षण टिप्पणी–

1 उपरोक्त सारणी के कम सं. 01 में एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 12.09.2013 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 11.03.2014 थी, परन्तु मापी पुस्तिका एवं चलंत लोन बिल 7 'क' के अनुसार कार्य 16.06.2014 को समाप्त हुआ। उसी प्रकार कम सं. 02 में एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 02.11.13 थी एवं मापी पुस्त पृष्ठ– 09 के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 01.08.2014 थी। एकरारनामा के **condition of contract** के शर्त्त–2 के अनुसार कार्य समय पर समाप्त न होने पर प्रतिदिन ½ प्रतिशत अधिकतम 10 प्रतिशत कार्य की राशि का दंड के रूप में संवेदक से वसूलने का प्रावधान है। परन्तु संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि संवेदक को पूर्ण राशि का भुगतान किया गया, फलस्वरूप दोनों योजनाओं में कुल राशि 68179 (19848 + 48331) का अधिक भुगतान किया गया।

विलंब शुल्क कटौती नहीं किये जाने के संबंध में नगर पंचायत द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। अतः विलंब शुल्क की कुल राशि ₹68179 वसूलनीय है।

125

कंडिका संख्या– 03 अग्रिम

अग्रिम पंजी के अवलोकन से पता चला कि 31/03/14 तक राशि ₹695900/- अग्रिम के रुप में विभिन्न व्यक्तियों के पास पड़ी हुई थी। विवरणी इस प्रकार है–

क.सं.	चेक सं.	दिनांक	राशि	नाम
1.	-----------	16/6/10	525000/-	पृथ्वी सिंह कनीय अभियंता
2.	-----------	3/4/10	6400/-	राजेश कुमार
3.	822895	30/8/10	22500/-	ओमप्रकाश गुप्ता
4.	822900	31/8/10	142000/-	बिहार बैटरी एवं इलेक्ट्रीक
		कुल	695900/-	

वर्ष 2010 में दिए गए अग्रिम अंकेक्षण की समाप्ति तक समायोजित नहीं होने के कारण से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

कार्यालय द्वारा आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि अग्रिम की समायोजन की दिशा में आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। जवाब संतोषप्रद नहीं था, क्योंकि इतनी पुरानी राशि जो विभिन्न व्यक्तियों को अग्रिम के रूप में दी गई थी, उसी की वसूली कर ली जानी चाहिए थी।

अतः अग्रिम की राशि ₹695900.00 की वसूली/समायोजन संबंधित व्यक्ति से कर अगले अंकेक्षण दल को अवगत कराया जाए।

कंडिका संख्या– 04 डीजल पर भुगतान

नगर पंचायत, महाराजगंज के लेखाओं के अंकेक्षण के कम में पाया गया कि नगर पंचायत कार्यालय में एक बोलेरो गाड़ी है जिसका पंजीकरण संख्या BR- 01P 1655 है। इस गाड़ी पर 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान उपयोग किए गए तेल पर खर्च निम्न प्रकार है-

2012-13	37578.65
2013-14	43336.00
	80914.65

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– III(A) पर संलग्न)

कार्यालय द्वारा अंकेक्षण दल को निम्नलिखित सूचनाएँ/तथ्य उपलब्ध नहीं करायी गई–

(1) गाड़ी का लॉगबुक

(2) जिस प्रशासनिक स्वीकृति से वाहन का तेल खरीदा गया उसकी प्रति

(3) अभिश्रव

कार्यालय द्वारा आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि संबंधित अभिलेख अगले दल को प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि लॉगबुक अधुरा है। जवाब संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि लॉगबुक का संधारण नियमित रूप से होना चाहिए।

अतः कंडिका के निराकरण तक राशि ₹80915 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

कंडिका संख्या– 05 बन्दोबस्ती (सैरातों की) नहीं होने से हानि ₹77900.00

कार्यालय नगर पंचायत, महाराजगंज के सैरातों की बन्दोबस्ती से सम्बंधित पंजी के जाँच के क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 हेतु मात्र दो सैरातों (सब्जी मण्डी गुड़हट्टी) एवं शौचालय की बंदोबस्ती की गयी है जबकि 2010-11 में चार सैरातों (सब्जी मंडी गुड़हट्टी लोडिंग एवं ओवर लोडिंग टिन टिकट एवं शौचालय) की बंदोबस्ती की गयी थी। विवरणी निम्न है–

क0सं0	सैरातों का नाम	बन्दोबस्ती का वर्ष			
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
01.	सब्जी मण्डी गुड़हट्टी	हाँ रु 47800	विभागीय	हाँ	हाँ
02.	लोडिंग एवं ओवर लोडिंग	हाँ रु 9800	नहीं	नहीं	नहीं
03.	टिन– टिकट	हाँ रु 12500	नहीं	नहीं	नहीं
04.	शौचालय	हाँ रु 11000	नहीं	हाँ	हाँ

अंकेक्षण आपत्ति–

वित्तीय वर्ष 2010–11 में सब्जी मण्डी (गुड़हट्टी) रु 47800, लोडिंग एवं अनलोडिंग रु 9800, टिन– टिकट 12500, एवं शौचालय 11000 में बंदोबस्त किया गया था मगर वर्ष 2011–12 एवं 2013–14 में सब्जी मण्डी (विभागीय), 2012–13 में सब्जी मण्डी (गुड़हट्टी) एवं शौचालय की बन्दोबस्ती की गई। शेष की बन्दोबस्ती नही हुई। विवरणी निम्न है–

क0सं0	सैरात का नाम	बन्दोबस्ती नही होने की अवधि	हानि
01	लोडिंग एवं ओवर लोडिंग	2011-12, 12-13, 13-14	9800x3=29400
02	टिन टिकट	2011-12, 12-13, 13-14	12500x3=37500
03	शौचालय	2011-12	11000x1=11000
		कुल	77900

(राशि की गणना वित्तीय वर्ष 2010–11 की बंदोबस्ती राशि के आधार पर की गई है)

123

सैरातों की बन्दोबस्ती नहीं होने के कारण नगर पंचायत को रु 77900 की क्षति हुई। संचिका से बन्दोबस्ती नहीं किये जाने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका।

कार्यालय द्वारा आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि संचिकाओं की जाँच कर अगले अंकेक्षण दल को दिखाया जाएगा। समिति के द्वारा इसको नहीं करने का प्रस्ताव लिया गया है। अगले वित्तीय वर्ष में इसका अनुपालन निश्चित रूप से किया जाएगा।

अतः आपत्ति के निराकरण तक राशि ₹77900 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका संख्या– 06 मद – नगर पंचायत मद

योजनाः– 01/2010-11

योजना का नाम – प्रत्येक वार्ड में क्रमशः 5–5 चापाकल

प्राक्कलित राशि – ₹1152760/-

संवेदक –श्री पृथ्वीराज चौहान, कनीय अभियंता

कार्यादेश की तिथि --- ----

कार्य पूर्ण होने की तिथि --- ---

भुगतान विवरणी

क्र.सं.	**चेक सं.**	**दिनांक**	**राशि**
01	753978	16.06.10	525000.00

28.05.10 को साधारण बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक वार्ड में 5–5 चापाकल का निमार्ण कराया जाए। इसके लिए श्री पृथ्वीराज सिंह तत्कालीन कनीय अभियंता को संवेदक नियुक्त करते हुए 10.06.10 तिथि को कार्यदेश निर्गत किया गया। कार्य को 01 माह के अन्दर समाप्त कर देना था।

अंकेक्षण आपत्ति

(1) संचिका के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्री सिंह कनीय अभियंता द्वारा राशि ₹5,25,000/- 16/06/10 की तिथि को प्राप्त किया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक संचिका में मापीपुस्त एवं अभिश्रव न तो सलंग्न पाये गए और न ही कार्यालय को प्रस्तुत किया गया।

(2) इस सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा दिनांक 17/12/10, 15/03/12 एवं 06/01/14 को श्री सिंह तत्कालीन कनीय अभियंता को पत्र लिखा गया और उन्हे ₹5,25,000/- अग्रिम के विरुद्ध समायोजन अभिश्रव एवं राशि समर्पित का आग्रह किया गया।

परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी जवाब श्री सिंह तत्कालीन कनीय अभियंता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।

कार्यालय द्वारा आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि पुनः श्री सिंह को राशि के सामयोजन के लिये पत्र लिखी जाएगी। जवाब संतोषप्रद नहीं था।

संबंधित व्यक्ति से राशि ₹525000 की अग्रिम के विरूद्ध समायोजन कर कार्यालय को अवगत कराया जाय। समायोजन/वसूली तक राशि ₹525000 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका संख्या– 07 दैनिक मजदुरी पर अप्राधिकृत व्यय 4.20 लाख

बिहार सरकार के पत्र सं0– 4 न0सं0 1-103/87-1231/ नगर विकास विभाग दिनांक 06.05.1992 द्वारा बाहरी निकायों में दैनिक मजदुरी पर रोक लगायी गयी हैं।

परन्तु लेखापरीक्षा में उपलब्ध रोकड़ बही के अनुसार नगर पंचायत, महाराजगंज में 2012–13 से 2013–14 के दौरान रु 419929/– दैनिक मजदुरी पर व्यय किया गया। जो कि सरकार के निर्देशो के विरुद्ध एवं अप्राधिकृत था।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– IV पर संलग्न)

कार्यालय द्वारा आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि कार्यालय कर्मी की कमी के कारण दैनिक मजदूरी पर कार्य जनहित में कराया जाता है। जवाब संतोषप्रद नहीं था, क्योंकि नियमानुसार दैनिक मजदूर से काम नहीं लिया जाना चाहिये था।

अतः राशि रु 419929.00 को व्यय की संस्वीकृति सरकार से प्राप्त होने तक अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती हैं।

कंडिका संख्या– 08 मोबाईल टावरों का बिना अनुमति अधिष्ठापन एवं शुल्क के रुप में बकाया राशि ₹6.26 लाख

बिहार सरकार द्वारा संचार (मोबाइल) टावरों एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली, 2012 दिनांक 08.10.2012 को अधिसूचित किया गया है। उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार नगर पंचायत में पंजीकरण शुल्क रु 30000.00 प्रति टावर एवं नवीकरण शुल्क रु 8000 प्रतिवर्ष निर्धारित है। नियम 6(4) के अनुसार प्रत्येक अतिरिक्त एंटिना पर 60% की दर से कर लगाया जाएगा। नियम 6(7) के अनुसार अगर नवीकरण शुल्क 30 अप्रैल तक कम्पनियों द्वारा जमा नही किया जाता है तो ½ % प्रतिमाह की दर से सूद देना होगा। नियम 6(8) के अनुसार बिना नगर पालिका के अनुमति के मोबाईल टावरों का अधिष्ठापन नही किया जाएगा और अगर ऐसा होता है तो स्थापित सभी टावर अवैध माने जाएंगे।

कार्यालय नगर पंचायत महाराजगंज के संचार (मोबाईल) टावरों से सम्बधित संचिकाओं के जाँच के क्रम में पाया गया कि सभी 7 टावर बिना अनुमति के अवैध रुप से स्थापित किये गये थे। कोई भी टावर का आज तक न पंजीकरण शुल्क और न ही नवीकरण शुल्क जमा किया गया था अतः इन पर बकाया राशि सूद के साथ वसूल की जानी चाहिए।

(12)

कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये संचिकाओं के अनुसार मात्र 7 टावर ही नगर पंचायत क्षेत्र के स्थापित थे जिनपर बिना सूद जोड़े राशि रु 626000.00 का बकाया था। संक्षिप्त विवरणी निम्न है–

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	टावरों की संख्या	बकाया राशि
01.	रिलायंस	01	1,02,000/-
02.	एयरटेल	04	3,36,000/-
03.	वेडाफोन	01	78,000/-
04.	बीएसएनएल	01	1,10,000/-
	कुल	07	6,26,000/-

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– V पर संलग्न)

अंकेक्षण आपत्ति

(1) कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचनाओं के आधार पर मात्र 7 टावर (जो 2004–05 से 2008–09 के बीच स्थापित है) ही नगर पंचायत क्षेत्र में स्थापित थे। कार्यालय द्वारा यह स्पष्ट नहीं कराया गया कि क्या ये संख्या सही है और 2004–09 के दरम्यान या बाद में कोई टावर स्थापित नही किये गये थे।

(2) यह भी स्पष्ट नहीं कराया गया कि अतिरिक्त एंटिनाओं की जाँच हेतु किसे प्राधिकृत किया गया था और यदि नही किया गया था तो कारण स्पष्ट नहीं किया गया।

(3) विवरण में बकाया राशि सूद के साथ नहीं है। बकाया राशि का विवरण सूद (1.5% प्रतिमाह) के साथ तैयार कर लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

(4) कार्यालय द्वारा अवैध रूप से अधिष्ठापित टावरों पर क्या कार्रवाई की गयी। इससे भी लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

कार्यालय द्वारा आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि मोबाईल टॉवरों की संख्या की गिनती के लिये सर्वे कराया जाएगा। जवाब संतोषप्रद नहीं था, क्योंकि पिछले कई वर्षो से टावरों पर बकाया शुल्क की वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं किया जा रहा था।

अतः बकाया राशि ₹626000 कीं संबंधित टावर कंपनियों से वसूली कर कार्यालय को अवगत कराया जाय।

कंडिका संख्या -9 पूर्व के सैरातों की बंदोबस्ती राशि की वसूली नही रु 28,800

कार्यालय नगर पंचायत के सैरातों से संबंधित संचिका पंजी के जाँच के कम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में जो सैरातों की बन्दोबस्ती की गयी थी उसमे से दो सैराता की बंदोबस्ती की शेष राशि आज तक बंदोबस्तीधारियो के पास वसूली हेतु बकाया हैं। पूर्व के अंकेक्षण में प्रतिवेदन में भी इसकी चर्चा थी। विवरणी निम्न है–

क्रम स0	सैरात का नाम	बंदोबस्ती की राशि	जमा राशि	रसीद स0 एवं दिनांक	बकाया राशि	बंदोबस्तधारी का नाम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	सब्जी मण्डी गुड़हट्टी	47800	25000	147/17.4.10	22800	बबलु कु0 सिंह
2.	टिन टिकट	12500	6500	149/17.4.10	6000	संजय कु0 यादव
		60300	31500		28800	

उपर्युक्त राशि रु 28800/- तीन वर्ष से अधिक से बकाया थी और वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के अंकेक्षण आपत्ति के बावजूद भी राशि वसूल नहीं की जा सकी थी।

अतः लेखापरीक्षा को स्पष्ट नहीं किया गया कि नियम के आलोक में तीन वर्ष से ज्यादा की बकाया राशि तत्कालिन अधिकारी/कर्मचारी से अधिभार के रुप में वसूल किया जा सकता है, यह पूछे जाने पर कार्यालय द्वारा ज़वाब में बताया गया कि राशि की वसूली के लिये संबंधित डाक कर्त्ताओं पर सर्टिफिकेट केस किया जायेगा। जवाब संतोषप्रद नहीं था क्योंकि 2010–11 की बंदोबस्ती की राशि की वसूली अभी तक नहीं हो पायी है।

अतः संबंधित व्यक्ति से राशि ₹28800.00 की वसूली कर लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाय।

कंडिका संख्या–10– योजना मद में कटौती की गई राशि को संबंधित राजस्व शीर्ष में जमा नहीं किया जाना– ₹3.35 लाख

कार्यालय नगर पंचायत, महाराजगंज द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में मात्र 21 योजनाओं को किया गया था। सभी पूर्ण योजनाओं पर राजस्व शीर्ष में राशि की कटौती की गयी थी जिसकी संक्षिप्त विवरणी निम्न है—

क्र0सं0	राजस्व शीर्ष का नाम	कटौती की गयी राशि
01	आयकर	64930
02	बिक्री कर	197674
03	रॉयल्टी	39960
04	श्रम उपकर	32243
	कुल कटौतियाँ	334807

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट VI पर संलग्न)

(113

अंकेक्षण आपत्ति

(1) योजना विवरणी के कम स0 13 वाले योजना पर श्रम उपकर के रुप में मात्र रु 310 की कटौती की गयी थी। कम की गई कटौती के कारण से लेखापरीक्षा को स्पष्ट नहीं कराया गया।

(2) कम स0 15, 16, 17 एवं 18 वाले योजनाओं से श्रम उपकर की कटौती नहीं किये जाने के कारणों से लेखापरीक्षा को स्पष्ट नहीं कराया गया।

(3) कटौती की राशि संबधित राजस्व में जमा नहीं किया गया था।

कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि काटी गयी राशि संबंधित शीर्ष में जमा कर दिया जायेगा।

अतः राशि संबंधित शीर्ष में जमा कर कार्यालय को अवगत कराया जाय।

लेखापरीक्षा टिप्पणी(TAN)

कंडिका संख्या–1– सरकारी अनुदान

सरकार अथवा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त होने वाले अनुदानों का संधारण अनुदान पंजी में किया जाना है। तथा उनके अनुदानवार प्रत्येक वित्तिय वर्ष के प्रारम्भ का पूर्वशेष, वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान वर्ष के दौरान किए गए व्यय तथा वर्ष के अन्तशेष को दर्ज किया जाना है। इसे बिहार नगर पालिका नियमावली, 1928 के नियम 141 के प्रारुप में संधारित करना है। लेकिन नगर पंचायत महाराजगंज में अनुदान पंजी का संधारण नही पाया गया। इसके अभाव में ज्ञात नही हो सका कि वित्तिय वर्ष 2012-13 से 2013-14 के प्रारम्भ में किस अनुदान का पूर्वशेष क्या था तथा कौन से अनुदान कितने वर्षो तक अनुपायोगी पड़े हुए थे।(विस्तृत विवरण परिशिष्ट VII पर संलग्न)

हाँलाकि प्रस्तुत रोकड़ बही के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि महाराजगंज, नगर पंचायत में वर्ष 2012-13 में 2013-14 की अवधि में राशि ₹35535619/- प्राप्त हुए। अनुदान पंजी के अभाव में ज्ञात नही हो सका कि इन अनुदानों का उपयोग उन्ही प्रयोजनों के लिए किया गया था, जिसके लिए उन्हे भेजी गयी थी।

अतः निम्नलिखित बिन्दुओं में स्पष्ट नहीं किया गया।

(1) अनुदान पंजी का संधारण क्यों नहीं किया जा रहा था।

(2) वित्तिय वर्ष 2012-13 का पूर्वशेष क्या था, तथा प्राप्ति एवं खर्च के बाद 2013-14 का अन्तशेष क्या था।

(3) प्राप्त सभी अनुदानों का आवेदन पत्र समर्पित नहीं किया गया।

(4) प्राप्त सभी अनुदानों का उपयोगिता प्रमाणपत्र समर्पित नहीं किया गया।

कार्यालय द्वारा आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि अनुदान पंजी का संधारण कर अगले अंकेक्षण दल को दिखाया जाएगा।

कंडिका संख्या–2–श्री प्रतियूष कुमार गौतम की संविदा पर नियुक्ति

साधारण बोर्ड की 27/02/13 की तिथि में हुई बैठक में अन्यान्य– 1 के अवलोकन से यह पता चला कि कार्य की अधिकता एवं कर्मचारी की कमी के कारण श्री प्रतियुष कुमार गौतम की नियुक्ति संविदा पर की गयी।

आगे यह पता चला कि इनके नियुक्ति के संबन्ध में लिए गए निर्णय के अनुमोदन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग को पत्र भेजा जायेगा एवं स्वीकृति के पश्चात् ही आगे की कार्यवाही की जाएगी एवं भुगतान स्वंय साधन स्त्रोत से किया जायगा।

संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि श्री प्रतियूष कुमार गौतम को पत्र सं0 182/28/04/13 द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया। आगे यह पता चला कि 28/04/2013 से 31/3/2014 की अवधि में राशि ₹54592/- का भुगतान किया गया।

Sl.no.	Cheque no.	Date	Amount	Month
1.	367949	2/12/13	34300/-	28/4/13 से 31/11/13
2.	367931	15/2/14	10146/-	1/12/13 से 31/1/14
3.	367956	5/4/14	10146/-	1/2/14 से 31/3/14
		कुल	54592/-	

अंकेक्षण आपत्ति

27/02/13 को लिए गए साधारण बोर्ड की बैठक के अन्यान्य सं0 1 में लिए गए निर्णय के आलोक में नगर विकास विभाग, बिहार सरकार को अनुमोदन हेतु पत्र निर्गत नही किया गया।

कार्यालय द्वारा आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि बोर्ड की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार नगर विकास विभाग को पत्र भेजा जाएगा।

कंडिका संख्या–3– विविध रसीद की भंडार पंजी अप्रस्तुत

नगर पंचायत, महाराजगंज के लेखाओं के अंकेक्षण के क्रम में विविध रसीद तो प्रस्तुत किया गया लेकिन संबधित भंडार पंजी प्रस्तुत नही किया गया। भंडार पंजी के प्रस्तुत नहीं होने से यह पता नही चल सका कि कितने विविध रसीद प्राप्त हुए और कितने निर्गत हुए। इस प्रकार विविध रसीदों की समवेत् जाँच नही हो सकी।

कार्यालय द्वारा आपत्ति के आलोक में जवाब दिया कि भंडार पंजी का संधारण कर अगले अंकेक्षण दल को दिखाया जाएगा। अतः भंडार पंजी का संधारण कर अगले लेखापरीक्षाा को दिखाया जाए।

(147

कंडिका संख्या–4– वार्षिक लेखा का संधारण नहीं

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 86 तथा 88 में क्रमशः लेखा संधारण तथा वित्तीय विवरण तैयार करने का प्रावधान किया गया है। धारा 88 के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के चार माह के भीतर एक वित्तीय विवरण तैयार करना है जिसमें नगरपालिका लेखा के मद्दे पूर्ववर्ती वर्ष का आय– व्यय लेखा तथा प्राप्तियों एवं अदायगियों को अंतर्विष्ट करना है। इसके अतिरिक्त बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 के नियम–82 तथा 83 में प्रावधान किया गया है कि नगरपालिका के आय तथा व्यय का विवरण फॉर्म XVII तथा XVIII में दर्ज किया जाएगा तथा लेखापाल द्वारा फॉर्म XIX में वार्षिक लेखा संधारित किया जाएगा।

अतः अंकेक्षण दल को 2011–14 का वार्षिक लेखा आवश्यक जांच के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया।

कार्यालय द्वारा जवाब कहा गया कि वार्षिक लेखा का संधारण कर अगले लेखापरीक्षा को दिखाया जायेगा।

अतः वार्षिक लेखा का संधारण कर अगले लेखापरीक्षा को दिखाया जाय।

कंडिका संख्या–5– नगरपालिका लेखा समिति द्वारा कियान्वित कार्य

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 98 में नगरपालिका लेखा समिति का गठन करने का प्रावधान किया गया है।

इसके संबंध में अंकेक्षण को निम्नलिखित बिन्दुओं को स्पष्ट नहीं कराया गया–

1. इस समिति का गठन कब किया गया?
2. इस समिति की कब– कब बैठक हुयी?
3. इस समिति द्वारा कौन– कौन से कार्यों का निष्पादन किया गया?

कार्यालय द्वारा जवाब में कहा गया कि लेखा समिति का गठन कर अंकेक्षण कार्यालय को सूचित किया जाएगा।

कंडिका संख्या–6– वित्तीय विवरण एवं तुलन पत्र का प्रस्तुतीकरण

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 90 के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षा को कार्यालय, आय एवं व्यय का वित्तिय विवरण एवं तुलन पत्र उपलब्ध करवाएगा।

लेखापरीक्षा दल को उपरलिखित सूचनाएं उपलब्ध नहीं करायी गयी।

कार्यालय द्वारा जवाब में कहा गया कि वित्तीय विवरण एवं तुलन पत्र का संधारण कर अगले लेखापरीक्षा दल को दिखाया जायेगा।

अतः संधारण कर अगले लेखापरीक्षा को दिखाया जाय।

116

कंडिका संख्या–7–परिसम्पत्ति पंजी का संधारण नहीं

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 105 में यह प्रावधान किया गया है कि–

(1) सशक्त स्थायी समिति, नगरपालिका की समस्त अचल सम्पत्तियों जिसका नगरपालिका स्वामी है या वह उसमें निहित है अथवा जो उसे सरकार के न्यास के रूप में प्राप्त है के विवरणों की एक पंजी तथा एक मानचित्र रखेगी तथा नगरपालिका की समस्त चल सम्पत्तियों की पंजी भी समिति के अधीन रहेगी।

(2) किसी अचल सम्पत्ति की तालिका के मामले में सशक्त स्थायी समिति एक वार्षिक विवरण तैयार करेगी जिसमें कथित तालिका में यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे चिन्हित करेगी तथा उसे बजट–प्राक्कलन के साथ नगरपालिका के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

महाराजगंज नगर पंचायत द्वारा परिसम्पत्ति पंजी को अंकेक्षण के समक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया। कार्यालय द्वारा जवाब में कहा गया कि पंजी का संधारण कर अगले लेखापरीक्षा को दिखाया जायेगा। अतः पंजी का संधारण कर अगले लेखापरीक्षा दल को दिखाया जाय।

कंडिका संख्या–8– दस्तावेजों का अप्रस्तुतीकरण

1.ट्रेजरी पासबुक
2.अभिश्रव(आंशिक)
3.पिछले कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन
4.बजट

कार्यालय द्वारा जवाब में कहा गया कि बजट पूर्व में नहीं बना था इसलिए नहीं प्रस्तुत किया गया। अगले लेखापरीक्षा को दिखाया जायेगा।
अतः वार्षिक लेखा का संधारण कर अगले लेखापरीक्षा को दिखाया जाय।

–हस्ता0–
(विश्वपति सिंह)
स.ले.प.अ.
अनुमोदित
उपमहालेखाकार
––––सह–––––
स्थानीय लेखापरीक्षक
बिहार, पटना

परिशिष्ट– I

लेखापरीक्षा के दौरान जांच किये गये अभिलेखो / पंजियों की **सूचि**

1. लेखापाल रोकड़बही
2. रोकड़पाल रोकड़बही
3. होल्डिग रसीद
4. मनी रसीद
5. सहायक रोकड़बही
6. स्टोक रजिस्टर– एच,एम एवं स्थायी सामग्री
7. योजना पंजी
8. योजना संचिका– आंशिक
9. सामानों के कय से संबंधित संचिका

परिशिष्ट-II

लेखा परीक्षा के दौरान अप्रस्तुत/असंधारित अभिलेखो / पंजियों की **सूचि**

1. मांग एवं वसूली पंजी
2. सेवा पुस्त
3. भविश्य निधि पास बुक
4. वाद पंजी
5. सम्पति पंजी
6. लाग बुक
7. वेतन पंजी
8. अनुदान पंजी
9. चेक निर्गत पंजी
10. वार्शिक लेखा
11. उपयोगिता प्रमाण पत्र
12. दैनिक मजदुरो के भुगतान से संबधित पंजी
13. मकान कर से संबंधित संचिका एवं विवरणी
14. अभिश्रव
15. कोशागार पासबुक

~~16. अग्रिम पंजी~~

16. **पिछले कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन**
17. भवन नक्शा से संबंधित संचिका एवं पंजी
18. रॉयल्टी एवं वैट पंजी
19. Trade लाईसेंस पंजी एवं विवरणी
20. होल्डिंग की संचिका
21. जिला योजना समिति से पारित बी0आर0जी0एफ0 योजनाओं की सूची
22. सैरातो के विभागीय बसूली से संबधित संचिकायें

112/24

परिशिष्ट - III

कंडिका - भाग II (ख) के अन्तर्गत 1 (ii)

क्र० सं०	होर्डिंग रसीद सं०	दिनांक	कुल राशि	जमा राशि	नहीं जमा
01	151-200	03.01.12 से 08.03.12	12,820/-	9900/-	2920
02	201-250	13.03.12 से 10.04.12	10,482	10,475	7
03	251-300	13.04.12 से 13.04.12	10,600	10,600	—
04	301-350	06.04.12 से 16.04.12	10,100	10,050	50
05	351-400	19.04.12 से 20.04.12	12,500	11,500	1000
06	401-450	21.04.12 से 30.06.12	11,269	10,500	769
07	451-500	19.07.12 से 11.09.12	10,391	10,250	141
08	501-550	20.09.12 से 27.09.12	6025	6000	25
09	551-600	29.09.12 से 01.12.12	8390	7150	1240
10	601-650	13.12.12 से 02.01.13	9660	9600	60
11	651-700	08.01.13 से 31.01.13	9600	9300	300
					6512
12	1430	01.09.14	500	—	500
13	1431	05.09.14	450	—	450
14	1432	06.09.14	400	—	400
15	1433	06.09.14	400	—	~~400~~ 1750
		Total	113587	105325	[1750] 82..

Chandan Paswan
Auditor

Grand Total - 8262

परिशिष्ट- III

डीजल भुगतान विवरणी

वितीय वर्ष 2012-13

S.no.	Voucher no.	Amount
1.	1	873=40
2.	13	1310
3.	15	655
4.	16	436=60
5.	17	436=70
6.	21	655
7.	24	1310
8.	25	655
9.	26	436
10.	27	1310
11.	29	873
12.	31	645
13.	45	220
14.	47	1965=15
15.	49	654=80
16.	51	436
17.	52	500
18.	53	227

19.	54	2055
20.	62	685
21.	65	500
22.	68	2055
23.	71	1598
24.	75	913
25.	82	1804
26.	87	760
27.	91	1775
28.	93	760
29.	108	1781
30.	113	509
31.	115	254
32.	117	500
33.	122	496
34.	125	1034
35.	126	2350
36.	137	776
37.	142	1055
38.	144	264
39.	148	528
40.	-----	528
41.	-----	500

42.	------	500

वित्तीय वर्ष 2013-14

S.no.	Voucher no.	Amount
43.	-------	265
44.	-------	265
45.	-------	787
46.	-------	1081
47.	-------	1100
48.	-------	1500
49.	-------	836
50.	-------	218
51.	-------	1326
52.	-------	1592
53.	-------	2166
54.	-------	1083
55.	-------	2254
56.	-------	2099
57.	-------	350
58.	-------	1200

59.	-------	2856
60.	-------	2284
61.	-------	1142
62.	-------	2166
63.	-------	578
64.	-------	302
65.	-------	300
66.	-------	500
67.	-------	2086
68.	-------	2500
69.	-------	2500
70.	-------	3000
71.	-------	2500
72.	-------	2500

दैनिक मजदूरी विवरणी

क्र०सं०	अभिस्रव सं० / चेक सं०	दिनांक	राशि
01	923707	13.09.12	28,656/-
02	723714	09.10.12	1728/-
03	723718	09.10.12	1728/-
04	829432	17.10.12	31560/-
05	723676	27.04.13	41,000/-
06	723818	17.05.13	18255/-
07	723979	17.05.13	15335/-
08	723678	17.05.13	17,612/-
09	723680	17.05.13	18445/-
10	388051	17.05.13	14555/-
11	368092	17.05.13	14400/-
12	368038	09.07.13	23520/-
13	368059	09.07.13	40921/-
14	368065	07.08.13	61814/-
15	367941	28.09.13	70,000/-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]/-
16	839431	11.4.12	20,400/-
			4,19,929/-